पत्रांक–अ०स०क०–07 / रो0–07 / 2023.................../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इबरार अमहद खाँ
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक....................

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उद्योग विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से संचालित राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना (पूर्व में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना) के कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना मद में कुल उपबंधित राशि ₹100,00,00,000/– (सौ करोड़ रूपये) मात्र में से ₹16.50 करोड़ रूपये दिया जा चुका है। शेष उपबंधित राशि ₹83,50,00,000/- (तीरासी करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र में से ₹50,00,00,000/– (पचास करोड़ रूपये) मात्र मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उद्योग विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से संचालित राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना (पूर्व में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना) के कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना मद में कुल उपबंधित राशि ₹100,00,00,000/– (सौ करोड़ रूपये) मात्र में से विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–135, दिनांक–05.06.2026 के माध्यम से ₹16,50,00,000/– (सोलह करोड़ पचास लाख रूपये) करोड़ रूपये दिया जा चुका है। शेष ₹83,50,00,000/- (तीरासी करोड़ पचास लाख रूपये) में से ₹50,00,00,000/- (पचास करोड़ रूपये) मात्र मुख्यमंत्री अल्प उद्यमी योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट मुख्य शीर्ष–5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश, उपमुख्य शीर्ष–01–सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंको आदि में निवेश, उपशीर्ष–0104–बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सापूंजी के रूप में (कैपिटल शेयर), मांग संख्या–30 विपत्र कोड–30–5465011900104 के तहत् विस्तृत शीर्ष–54, निवेश, विषय शीर्ष–54–01 निवेश मतदेय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जाएगी।

4. प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0, पटना इस योजना हेतु विभाग द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹50,00,00,000/– (पचास करोड़ रूपये) मात्र BTC FORM NO. 46 के माध्यम से कोषागार, सिचाई भवन, पटना से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, बिहार, पटना के पी०एल० खाता– PTSPLA008, Ledger ID-21621 में अंतरित की जाएगी।

5. उपर्युक्त राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, बिहार, पटना द्वारा आवश्यकतानुसार उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अल्पसंख्यक उद्यमी योजना (पूर्व में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना) के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7355 वि0, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7. उपर्युक्त आवंटन राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. उक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के नियम के प्रावधानों के अनुसार योजना की राशि व्यय की जायेगी।

10. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन परिपत्र के आलोक में की जाएगी।

11. यह एक चालू योजना है।

विश्वासभाजन

ह0/-

अपर सचिव

(कृ०पृ०उ०) ......

पटना, दिनांक.............................

ज्ञापांक– अ०सं०क०–07 / रो0–07 / 2023........................ /

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

पटना, दिनांक.............................

ज्ञापांक– अ०सं०क०–07 / रो0–07 / 2023........................ /

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

पटना, दिनांक.............................

ज्ञापांक– अ०सं०क०–07 / रो0–07 / 2023........................ /

प्रतिलिपि– प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसख्यंक वित्तीय निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

पटना, दिनांक.............................

ज्ञापांक– अ०सं०क०–07 / रो0–07 / 2023........................ /

प्रतिलिपि– सहायक निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

पटना, दिनांक.............................

ज्ञापांक– अ०सं०क०–07 / रो0–07 / 2023........................ /

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी, वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

पटना, दिनांक.............................

ज्ञापांक– अ०सं०क०–07 / रो0–07 / 2023........................ /

प्रतिलिपि– उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट शाखा/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

पटना, दिनांक 10/08/24

ज्ञापांक– अ०सं०क०–07 / रो0–07 / 2023 267 /

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/24

अपर सचिव